



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1000/-  
रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 219/2013 धारा-3/25 आमर्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रहलाद पुत्र गोकुल निवासी केंधा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश  
गोस्वामी



विवेचक-  
उ०नि० रामसिंह  
यादव



पैरोकार- थाना राठ  
का० प्रदीप भार्गव